रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15, 1970/श्रावण 24, 1892

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15, 1970/SRAVANA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 23rd July 1970

G.S.R. 1155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Officer (Book Promotion) in the Ministry of Education and Youth Services, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Education and Youth Services (Special Officer Book Promotion) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for the post specified in column 1 of the Schedule annexed thereto.

(ख) वह व्यक्ति जिसने कि एक पति / पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की निविदा की हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति की और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू होने वाली स्कीम - विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने की छूट दे सकती है"।

(2) अनुसूची में, कालम 8 में शीर्षक में उल्लिखित तिर्यक रेखा और "विभागीय पदोन्नति" शब्द हटा दिए जायेंगे ।

[सं० 8-15/67-स्थापना (सामान्य)]

रमेश बहादुर,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th July 1970

G.S.R. 1161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962 namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class II posts) Recruitment (3rd Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962 after Serial No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

SCHE

Recruitment Rules for the post of Extension Officer

Sl. No.	Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Extension Officer	22	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900	Selection	35 years and below (Relaxable for Government servants).	*Essential*: ( ) Bachelor's degree with Social Science as one of the subjects or a degree in Education or Nursing or Journalism from a recognised University or equivalent qualification. (ii) Training n Health Education or Social Education or Mass Communication or Audio Visual Education or Public Relations. (iii) About 5 years practical experience in educational aspects of family planning or in training or research in Public Health Programme. (Qualificatoins relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable*: (i) Post-graduate qualifications in Health Education e.g. Diploma in Health Education. (ii) Experience in production and use of Health education materials such as pamphlets, posters, film-strips, exhibits etc.

DULE

In All India Radio

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
No	2 years	50 per cent by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. 50 per cent by direct recruitment.	*Promotion* Field Reporters with 5 years approved service in the grade. *Transfer on deputation* Officers from the Central or State Governments engaged in Family Planning and Health Education work and with 5 years service in posts in the scale of Rs. 325—575 or equivalent. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

3	4	5	6	7	8
					(iii) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post).

9	10	11	12	13	14

[No. 7/2/68-B(A)]

A. V. **NARAYANAN,** Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1970

जी० एस० आर० 1161.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में क्रमसंख्या 21 तथा इस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

परिशिष्ट

आकाशवाणी महानिदेशालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में विस्तार अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम ।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पद का वेतनमान	सेलेक्शन पद है या गैर सैलक्शन पद है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	विस्तार अधिकारी	22	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	400—25—500 30—590—द० अ०—30—800—द०अ०—30—830—35—900 रुपये	सैलेक्शन

सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा लिए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर भी लागू होंगी
(7)	(8)	(9)
35 वर्ष तथा इससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए– इसमें छूट दी जा जा सकती है)।	**आवश्यक** :— (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान के विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा शिक्षा या नर्सिंग या पत्रकारिता की डिग्री या इसके समकक्ष । (2) स्वास्थ्य शिक्षा या समजिक शिक्षा या जन संचार या श्रव्य दृश्य शिक्षा या जन सम्पर्क में प्रशिक्षण । (3) परिवार नियोजन के शैक्षणिक पहलुओं में या जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रशिक्षण या अनुसंधान का लगभग 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । (योग्य उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हो तो आयोग अपने विवेक से इन अर्हताओं में छूट दे सकता है) । **वांछनीय** :— (1) स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर की योग्यता अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा ।	नहीं

7	8	9
	(2) स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री जैसे फिल्म पुस्तिकाएं, पोस्टर, फिल्मस्ट्रिप्स, पर्दशनी वस्तुएं आदि तयार करने तथा उन्हें इस्तेमाल करने का अनुभव । (3) किसी एक प्रादेशिक भाषा की जानकारी (प्रत्येक पद की आवश्यकताओं के अनुसार) ।	

परिवीक्षाधीन अवधि, यदि हो	भर्ती पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/बदली द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/बदली द्वारा हो तो किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/बदली की जानी है
(10)	(11)	(12)
2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, यह न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा/50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**पदोन्नति :** वे फील्ड रिपोर्टर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की स्वीकृत सेवा हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** केन्द्रीय या राज्य सरकारों के वे अधिकारी जो परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य में लगे हों और जिनकी 325–575 रुपये के स्केल वाले पदों या इसके समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी) ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसका गठन	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी है
(13)	(14)
द्वितीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[संख्या 7/2/68–बी० (ए)]

ए० बी० नारायणन,

अवर सचिव ।